राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4668/2023

इंदर राज पुरोहित पुत्र श्री मगराज पुरोहित, उम्र लगभग 70 वर्ष, प्रयास भवन, लाडी-जी का कुवां, खांडा फलसा, जोधपुर (राज.)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर (राज.)
3. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, जोधपुर संभाग, जोधपुर (राज.)
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, नागौर (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री राजीव पुरोहित

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री विशाल जांगिड़

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>20/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान द्वारा पारित दिनांक 14.09.2022 के आदेश (अनुलग्नक-14) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उस पर 10 वर्षों के लिए 10% पेंशन रोकने का जुर्माना लगाया गया था।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता 31.05.2012 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालेसर (जोधपुर) में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ। संबंधित समय में स्कूल में एक वरिष्ठ लिपिक महावीर प्रसाद शर्मा भी तैनात था। उसे कैशियर का काम सौंपा

गया था। हालांकि, उसने अपने पद का दुरुपयोग किया और कथित तौर पर काफी समय तक वित्तीय अनियमितताओं और कर्मचारियों के धन के गबन में लिप्त रहा।

2.2 याचिकाकर्ता ने तत्कालीन प्राचार्य होने के नाते उन्हें कार्यालय ज्ञापन जारी किए, लेकिन श्री प्रसाद ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने अंततः मामले को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया। उन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड के अनधिकृत कब्जे और कर्मचारियों के धन के गबन के संबंध में दो प्राथमिकी भी दर्ज कराईं।

2.3 उच्च अधिकारियों ने महावीर प्रसाद द्वारा किए गए कदाचार और गबन के संबंध में कथित पर्यवेक्षी लापरवाही के लिए 14.09.2022 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विकल्प चुना। जांच अधिकारी ने महावीर प्रसाद को दोषी ठहराया और निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने जानबूझकर याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए कुकर्मों में उलझाने के लिए काम किया। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने मनमाने ढंग से दर्ज किया कि याचिकाकर्ता महावीर प्रसाद के कुकर्मों के लिए समान रूप से जिम्मेदार है और उसे उक्त पर्यवेक्षी लापरवाही के लिए दोषी ठहराया और 14.09.2022 को जुर्माना आदेश पारित किया। इसलिए वर्तमान रिट याचिका।

3. उत्तर में लिया गया रुख यह है:

3.1 याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत अपील, पुनरीक्षण और समीक्षा याचिका दायर करने के वैधानिक उपाय मिले हैं। लेकिन वैधानिक उपायों का लाभ उठाए बिना, उसने सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3.2 गुण-दोष के आधार पर यह माना गया है कि याचिकाकर्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बोरावर, नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत था। कोषाधिकारी को प्रस्तुत प्रत्येक वाउचर/बिल/दस्तावेज पर याचिकाकर्ता द्वारा डीडीओ होने के नाते विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह अपने अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच और सत्यापन करे तथा यह सुनिश्चित करे कि वे लेखा नियमों के अनुसार हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ता यह आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि वित्तीय अनियमितताएं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई हैं। इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. मैंने वकीलों की प्रतिद्वंदी दलीलें सुनी हैं।

5. मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, मेरा विचार है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के मद्देनजर याचिका को शुरू से ही स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसी किसी भी घटना के संबंध में विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती जो ऐसी संस्था के गठन से चार वर्ष से अधिक पहले हुई हो।

6. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 7 (2) (ए), प्रासंगिक होने के कारण, नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाता है:-

> "(2)(क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाही, यदि सरकारी सेवक के सेवा में रहते हुए शुरू की गई हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, तो सरकारी सेवक की अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद, उसे इस नियम के तहत कार्यवाही माना जाएगा और उसे उस प्राधिकारी द्वारा जारी रखा जाएगा और समाप्त किया जाएगा, जिसके द्वारा उसे शुरू किया गया था, उसी तरह जैसे कि सरकारी सेवक सेवा में बना रहा हो।
>
> बशर्ते कि जहां विभागीय कार्यवाही उस समय शुरू की गई हो जब सरकारी कर्मचारी सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान-
>
> (i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना शुरू नहीं की जाएगी।
>
> (ii) ऐसी किसी घटना के संबंध में नहीं होगी जो ऐसी संस्था के शुरू होने से चार वर्ष से अधिक पहले हुई हो, और
>
> (iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर संचालित की जाएगी जैसा राज्यपाल निर्देश दें और विभागीय कार्यवाहियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार जिसमें सरकारी कर्मचारी के सेवा के दौरान उसके संबंध में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है।"

6. वर्तमान मामले में यह माना जाता है कि कथित घटना वर्ष 2010 में हुई थी। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त भी हो गया। उसकी सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद उसकी पेंशन कम करने का आदेश पारित किया गया।

केवल इसी आधार पर, यह आदेश टिकने योग्य नहीं है। आदेश पारित करने से पहले जो भी अनुमति मांगी गई थी, वह भी टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि यह भी ऊपर वर्णित प्रावधान के विरुद्ध है।

7. रिट याचिका को आने वाले परिणामों के साथ स्वीकार किया जाता है।

8. यदि कुछ बकाया है, तो उसे सेवा नियमों के अनुसार लागू ब्याज सहित याचिकाकर्ता को दिया जाए।

9. यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा किया जाता है।

(**अरुण मोंगा**),**जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।